

सं. प्रशा./जी/जी-15/2107

दिनांक : 27 मार्च, 2021

संयुक्त कुलसचिव (लेखा)  
विश्वभारती

विषय : विश्वविद्यालय के वाह्य स्रोत कामगार के पुनर्नियुक्ति हेतु अनुमोदन।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने मौजूदा नियम एवं शर्तों के आधार पर दिनांक 31.03.2021 से 27.06.2021 तक की अवधि हेतु विश्वविद्यालय के 403 वाह्य स्रोत कामगार (संलग्न सूची) को पुनर्नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किए हैं।

सभी वाह्य स्रोत कामगार के, संलग्न सूची के अनुसार, निर्दिष्ट वेतन/पारिश्रमिक व्यय बजट शीर्ष से खर्च किए जाएंगे।

संलग्न : यथोपरी

हस्ता/-  
सहायक कुलसचिव (प्रशासन)  
विश्वभारती

सूचनार्थ निम्नलिखित प्रति इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि नियुक्ति की अवधि समाप्त होने से दस (10) दिन पहले उप कुलसचिव (प्रशासन) को 30.06.2021 से प्रभावी तिथि से अगले 89 दिनों का अपने नियंत्रण अधीन वाले कामगार के पुनर्नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव भेजें। यदि निर्दिष्ट अवधि के तहत उक्त प्रस्ताव की प्रति प्राप्त नहीं होती है तो, यह मान लिया जाएगा कि संबंधित कामगार को पुनर्नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है एवं तत्पश्चात् उनकी सेवाएं विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे।

1. विश्वविद्यालय के सभी भवन/विभाग के निदेशक/प्रिंसिपल
2. सभी अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यालय/अनुभाग के प्रधान
3. वित्त अधिकारी (कार्यकारी)
4. कुलानुशासक
5. छात्र कल्याण के अध्यक्ष
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (कार्यकारी), पीएमएच
7. सुरक्षा प्रभारी के प्रोफेसर
8. उप कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
9. आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी (कार्यकारी)
10. हिंदी अधिकारी, विश्वभारती – हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
11. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)
12. कुलसचिव के निजी सहायक
13. विश्वविद्यालय वेब मास्टर – विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।